[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 25/2019-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि......(अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि.सं. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,

(I) सारणी में,-

(1) क्रम सं. 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(2) क्रम सं. 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(3) क्रम सं. 57 के सामने, स्तंभ (3) में, मद I में, उप-मद (क), (ख) और (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(4) क्रम सं. 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(5) क्रम सं. 119 के सामने, स्तंभ (3) में "झींगा मछली आहार, झिंगी लार्वा आहार और गुटिका के रुप में मछली आहार" शब्दों के स्थान पर (1) झींगा मछली आहार, (2) झिंगी लार्वा आहार, (3) गुटिका के रुप में मछली आहार'' शब्द और अंक रखे जाएगे;
(6) क्रम सं. 125 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(7) क्रम सं. 136 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"136.	2612 10 00	यूरेनियम अयस्क और सांद्रण, नाभिकीय शक्ति के उत्पादन के लिए	शून्य	-	-";

(8) क्रम सं. 145 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(9) क्रम सं. 147 के सामने, स्तंभ (3) में "सहित" शब्द के स्थान पर "के सिवाय" शब्द रखे जाएंगे;
(10) क्रम सं. 147 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"147क.	2710	नेफ्था	4%	-	-";

(11) क्रम सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"182.	2844 20 00	सभी माल, नाभिकीय शक्ति के उत्पादन के लिए	शून्य	-	-";

(12) क्रम सं. 198 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(13) क्रम सं. 202 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"202क.	2910 20 00	मेथाइलआक्सीरेन (प्रोपीलेन आक्साइड)	5%	-	-";

(14) क्रम सं. 216 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"216क.	कोई अध्याय	कृत्रिम किडनी के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्ची सामग्री, पुर्जे या साधित्र	शून्य	-	9";

(15) क्रम सं. 249क के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(16) क्रम सं. 250क के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(17) क्रम सं. 252 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(18) क्रम सं. 262 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, "3901 से 3915 (3903, 3904 और 3908 के सिवाय)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(19) क्रम सं. 267 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल, विनायल क्लोराइड के पालिमर से भिन्न" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(20) क्रम सं. 282 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(21) क्रम सं. 283 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(22) क्रम सं. 294 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(23) क्रम सं. 295 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(24) क्रम सं. 297 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(25) क्रम सं. 302 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(26) क्रम सं. 306 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(27) क्रम सं. 310 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(28) क्रम सं. 335 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल, मार्बल स्लेब और क्रम सं. 337 पर उल्लिखित माल से भिन्न" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(29) क्रम सं. 336 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(30) क्रम सं. 341 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"341क.	कोई अध्याय	सिलिका के पूर्व रूप के विनिर्माण के	शून्य	-	9";

		लिए निम्नलिखित माल, अर्थात्:- (i) रिफ्रिजरेटिड हीलियम द्रव्य (2804); (ii) जर्मेनियम टेट्रा क्लोराइड (2812); (iii) सिलिका टेट्रा क्लोराइड (2812); (iv) सिलिका ट्यूब (7002); (v) सिलिका राड (7002);			

(31) क्रम सं. 354 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "11.85%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(32) क्रम सं. 355 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "11%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(33) क्रम सं. 356 के सामने, स्तंभ (4) में "10%", दोनों प्रविष्टि के स्थान पर जहां वे आते हैं, "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(34) क्रम सं. 357 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(35) क्रम सं. 358 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(36) क्रम सं. 359 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(37) क्रम सं. 363 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(38) क्रम सं. 366 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"366.	72 (7202 60 00, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7224, 7225 11 00, 7225 30 90, 7225 40 19, 7225 50, 7225 99 00 या 7229 के सिवाय)	निम्नलिखित के सिवाय सभी माल:- (i) क्रम सं. 367, 368, 369, 370, 371, 371ख, 373क, 373ख, 376 और 376ग के सामने उल्लिखित माल; (ii) अध्याय 72 के अधीन आने वाले दोयम दर्जे के और खराब माल	5%	-	-";

(39) क्रम सं. 373 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"373क.	7218	सभी माल	7.5%	-	-
373ख	7224	सभी माल	7.5%	-	-";

(40) क्रम सं. 374 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(41) क्रम सं. 375 के सामने, स्तंभ (4) में ''5%'', जहां-जहां वे आते हैं, प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(42) क्रम सं. 376क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

"376ख.	7226 99 30	एमार्फस मिश्र धातु रिब्बन	5%	-	-
376ग.	7229	सभी माल, आईएनवीएआर से भिन्न	7.5%	-	-
376घ.	7229	आईएनवीएआर	5%	-	-";

(43) क्रम सं. 390 और उससे   संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"390क.	8105 20 10	कोबाल्ट मैट्स और कोबाल्ट धातुकर्म के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद	2.5%	-	-";

(44) क्रम सं. 427 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(45)) क्रम सं. 449 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"449क.	8415 90 00	सभी माल, स्पिलिट-सिस्टम एयर कंडीशनर की भीतरी और बाहरी इकाई से भिन्न	10%	-	9";

(46) क्रम सं. 452 और उससे   संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"452क.	8421 39 20 8421 39 90	सभी माल, कैटेलैटिक कन्वर्टर से भिन्न्	7.5%	-	-";

(47) क्रम सं. 453 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(48) क्रम. सं. 481 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

“481क.	कोई अध्याय	डिस्पोजेबल स्टेरेलाइज्ड डाइलायसर और कृत्रिम किडनी के माइक्रो बैरियर के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री, पुर्जे या साधित्र	शून्य	-	9”;

(49) क्रम सं. 509 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(क) निम्नलिखित मदों से भिन्न 8521 90 90 के अधीन आने वाले डिजिटिल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर)/नेटवर्क वीडियो रिकार्डर (एनवीआर) के विनिर्माण के लिए पुर्जे, घटक और साधित्र अर्थात्: -

(i) पोपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड;

(ii) चार्जर या पावर एडॉप्टर ।

(ख) उपरोक्त (क) पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयुक्त उप-पुर्जे”;

(50) क्रम सं. 511 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(क) निम्नलिखित मदों से भिन्न, 8525 80 के अधीन आने वाले सीसीटीवी कैमरे/आईपी कैमरे के विनिर्माण के लिए पुर्जे, घटक और साधित्र, अर्थात्: -

(i) पोपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड;

(ii) चार्जर या पावर एडॉप्टर ।

(ख) उपरोक्त (क) पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयुक्त उप-पुर्जे”;

(51) क्रम सं. 524 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“524.	8702 या 8704	मोटरयान (वैद्‌युत प्रचालित यानों के सिवाय)			
		(1) एक पूर्ण यान का संयोंजन करने के लिए एक मोटरयान को छोड़कर यदि पूर्णरूप से नोक्ड डाउन के रूप में आयात किए जाते हैं जिसमें सभी आवश्यक संघटक, पूर्जे या उपसंयोजन अंतर्विष्ट हैं, जिसमें,-			
		(क) इंजन, गियर बाक्स और पारेषण तंत्र जो पूर्व संयोजन स्थिति में नहीं है;	15%	-	-
		(ख) इंजन या गियर बाक्स या पारेषण तंत्र जो पूर्व संयोजन के लिए है परंतु जो किसी चैसिस या बॉडी	25%	-	-

		संयोजन पर नहीं चढ़ाया गया है। (2) उपरोक्त (1) से भिन्न;	30%	-	-";

(52) क्रम सं. 528 के सामने, स्तंभ (3) में मद (ix) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"(x) ई-ड्राइव असेंबली;

(xi) ऑन बोर्ड चार्जर;

(xii) ई-कम्प्रैसर;

(xiii) चार्जिंग गन";

(53) क्रम सं. 529 के सामने, स्तंभ (6) की प्रविष्टि के स्थान पर "9" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(54) क्रम सं. 612 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (प) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"(फ) पाइन वुड;

(ब) फोम/ईवीए फोम" ;

(II) उपाबंध में, -

(क) शर्त सं. 41 के सामने, पैरा 1 के, खंड (ख) में,-

(i) "दस" शब्द के स्थान पर "एक" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) "सौ" शब्द के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) शर्त सं. 48 के सामने, खंड (ड.) के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां ऐसा आयातित उक्त माल का विकृति के पश्चात् गैर-प्रयोज्य रूप में निपटान किया जाना है यह स्थिति आयातकर्ता या अंतरिती, आयात के पत्तन पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क उप आयुक्त को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्राकार्बन महानिदेशक द्वारा संम्यक् रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि उक्त माल गैर-प्रयोज्य है और निपटान से पहले विकृत हो चुका है, प्रस्तुत करने के अध्यधीन रहते हुए ऐसे माल के पारेषण मूल्य पर 7.5 प्रतिशत की दर से शुल्क अदा कर सकेगा";

(III) सूची 5 में, मद संख्या 14 के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, "पॉलिस्टर टेप" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(IV) सूची 14 में मद संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(V) सूची 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(VI) सूची 32 में, मद संख्या 8और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात;

“(9) माही बांसवाड़ा परमाणिवक शक्ति परियोजना – 1 से 4, माही बांसवाड़ा, राजस्थान

(10) कैगा परमाणविक शक्ति परियोजना – 5 और 6, कैगा स्थल, कर्नाटक

(11) गोरखपुर परमाणविक शक्ति परियोजना – 3 और 4, जीएचएवीवी स्थल, हरियाणा

(12) चुटका परमाणविक शक्ति परियोजना – 1 और 2, चुटका स्थल, मध्यप्रदेश” ;

(फा. सं. 354/3/2019-टीआरयू)

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 50/2017 – सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. सं. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या 17/2019–सीमा-शुल्क, तारीख 15 जून, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 425(अ), तारीख 15 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई ।